न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0पी0 वाद सं0–06/2013–14

सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़
बनाम
राईसुद्धीन शेख एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह वाद अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के पत्र सं0–347/रा0, दिनांक–19.06.2013 के द्वारा प्राप्त अंचल अधिकारी, पाकुड़ के राजस्व विविध वाद अभिलेख सं0–09/2012–13 के आलोक में प्रारम्भ किया।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल–पाकुड़ के मौजा–मदनमोहनपुर के जमाबंदी सं0–113 के दाग सं0–46 अन्तर्गत रकवा 06–04–00 धुर भूमि का पंजी–।। में अवैध रूप से सृजित जमाबंदी को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजा गया। तत्पश्चात् अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ की अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में पोखर कहकर दर्ज है। उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–।। में होल्डिंग सं0–119/क में बी0सी0 पाण्डेय, पी0सी0 पाण्डेय व के0सी0 पाण्डेय, पिता–एम0सी0 पाण्डेय एवं सोमेन्द्र चन्द पाण्डेय एवं धोविलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय, सा0–पाकुड़, थाना–पाकुड़, जिला–पाकुड़ के नाम से दर्ज है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0–09/2012–13 में दिनांक–03.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) राईसुद्धीन शेख, पिता–स्व0 नजुमुद्धीन शेख (2) बैदुल शेख, पिता–नाजीर हुसैन (3) रजाउल इस्लाम (4) जियाउल इस्लाम (5) एजाजुल इस्लाम क्र0 3,4, एवं 5 का पिता–महसीन अली (6) सादेक अली, पिता–महाजर शेख (7) नजीमुद्दीन शेख, पिता–स्व0 हनीफ शेख (8) इमामुद्दीन शेख, पिता–स्व0 नजीमुद्दीन शेख (9) साबीरूद्दीन शेख, पिता–स्व0 हानी हुसैन अली (10) अहद शेख, पिता–बेलाल शेख (11) नागर बेवा, पति–स्व0 सोनादी शेख (12) साबीर शेख, पति–समसुद्धीन शेख (13) मनारूल शेख, पिता–स्व0 लाल मोहम्मद शेख एवं (14) मोकलेसुर शेख, पिता–स्व0 लाल मोहम्मद शेख के द्वारा एक आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आधार पर RMP वाद सं0–05/2013–14 संस्थित किया गया। उक्त RMP वाद सं0–05/13–14 को इस वाद के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, संख्या और तारीख सहित
1	2	3
	विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–46 अन्तर्गत रकवा 06–04–00 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में अनावादी खाता में पोखर कहकर दर्ज है। उक्त भूमि की जमाबंदी वर्तमान में विपक्षीगण के पक्ष में पंजी–।। में सृजित है। विपक्षीगण उक्त भूमि को विभिन्न निबंधित क्रिय्य केवाला द्वारा इसके वैद्य मालिक भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं अन्य से क्रय किया गया है। क्रय करने के बाद प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल–कब्जा है। विपक्षीगणों के पक्ष में क्रय की गई भूमि का नामांतरण भी विधिवत् किया जा चुका है तथा वे लगान भी अदा करते रहें है। भूमि के क्रय से पहले प्रश्नगत भूमि लगान धार्य वाद सं0–149/1991–92 में पारित आदेश से बी.सी. पाण्डेय एवं अन्य के नाम से पंजी–।। में दर्ज था। पूर्व में उक्त भूमि से पीपल के पेड़ को हटाने के संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्र सं0–472, दिनांक–08.05.2008 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर रैयती हक को माना गया था। वर्तमान विपक्षियों को अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया एवं बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया। राजस्व प्राधिकार को लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का कोई अधिकार नही है। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा पारित न्याय निर्णय जो (1) 200 (2) JLJR Page 572 एवं (2) 2004 (4) JLJR Page 403 में दर्ज है, का हवाला दिया गया। उनके द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़, अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया। प्रश्नगत मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा भी लिखित अभिकथन दाखिल कर कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है तथा खतियान में पोखर कहकर दर्ज है। SPT Act 1949 की धारा 35 के तहत पोखर/जलाशय की बंदोवस्ती नही की जा सकती है। उक्त तालाब का सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है, जिसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत जमाबंदी सं0–113, दाग सं0–46, रकवा 06–04–00 धुर भूमि विगत सर्वे खतियान में अनावादी (सरकारी) खाते में पोखर (Pond) कहकर दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की जमाबंदी लगान धार्य वाद सं0–149/1991–92 में पारित आदेश के आधार पर बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य के नाम से पंजी–।। में सृजित की गई है, जिसका होल्डिंग सं0–119/क है। विपक्षीगण	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	द्वारा न तो इस न्यायालय में और न ही निम्न न्यायालय में ऐसा कोई कागजात/ दस्तावेज दाखिल किया गया, जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि प्रश्नगत सरकारी भूमि विधिवत बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य को प्राप्त हुई। प्रश्नगत भूमि बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य को किस आधार पर प्राप्त हुई यह स्पष्ट नहीं है। उक्त लगान धार्य वाद सं0–149/91–92 में पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति भी इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी यह प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहें है कि प्रश्नगत भूमि बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य को विधिवत् प्राप्त हुई थी। अतः बी0सी0पाण्डेय एवं अन्य के नाम सृजित जमाबंदी पूरी तरह अवैध प्रतीत होता है। विपक्षी यह दावा करते है कि लंबी अवधि से चली आ रही जमाबंदी को राजस्व प्राधिकारी रद्द नही कर सकते है। परन्तु यह उन मामलों में है जहाँ जमाबंदी का सृजन वैद्य तरीके से हुआ हो। प्रश्नगत मामले में उक्त न्याय निर्णय प्रभावी नही हो सकता है क्यों कि विपक्षी यह बताने में पूरी तरह असफल रहें है कि प्रश्नगत सरकारी भूमि बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य को किस प्रकार प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का बी0सी0 पाण्डेय एवं अन्य के नाम से पंजी–।। में सृजित होल्डिंग सं0–119/क पूरी तरह अवैध है। अतः उक्त अवैध जमाबंदी को रद्द करने की स्वीकृति दी जाती है। चूँकि मूल होल्डिंग को ही रद्द कर दिया गया है, अतः उस जमाबंदी के आधार पर बाद में अन्य विपक्षियों के नाम सृजित जमाबंदी स्वतः निरस्त हो जाती है। अभिलेख संपुष्टि हेतु आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के माध्यम से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को भेंजे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, पाकुड़। उपायुक्त, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.07.22 13:05:08 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2ce1:8868:3557:aab2

Scanned with CamScanner